न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 10/2014/अपील

ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार श्रीमाधोपुर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1682 दिनांक 21.02.2014 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री भागीरथमल जाखड़

निर्णय **दिनांकः—18.10.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर की तन में भूमि खसरा नम्बर 3671 रकबा 2.79 है0 अपीलांट के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है उक्त भूमि का अपीलांट को बिना कोई नोटिस व सूचना दिये मृतक धान्या व किशना पुत्रगण गुमानाराम ओम बलाई के नाम से नियम विरूद्व नामान्तकरण भरने का गलत निर्णय पारित किया है। आदेश जैर अपील देने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलान्ट को कोई नोटिस सूचना व सूनवाई का अवसर नहीं दिया। आराजी खसरा नम्बर 3671 करबा 2.19 है0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही अपीलांट के निरंतर कब्जे काश्त की चली आ रही है जिसका नामांतकरण संख्या 65 दिनांक 11.01.61 को कानूनी प्रावधानों के मुताबिक विधिवत खातेदारी प्राप्त कर अपीलांट निरंतर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर कानूनी गलती की है। कानूनी प्रावधानों के तहत किसी मृत व्यक्ति के नाम नामांतकरण दर्ज नहीं किया जा सकता, इस तथ्य पर कोई गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति धान्या व किशना के नाम नामांतकरण तस्दीक कर कानूनी प्रावधानो का उल्लंघन किया है। भूमि खसरा नं. 3671 संपूर्ण बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के यंहा रहन है तथा बिना रहन मुक्ति के किसी दीगर व्यक्ति के नाम से कानूनन नामांतकरण नहीं भरा जा सकता। आदेश जैर अपील देने से पूर्व अधीनस्थ तहसीलदार ने कब्जे संबंधी कोई जांच नहीं की, जबकि नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व विवादग्रस्त भूमि का कब्जा स्थानांतरण होना नियमों के लिए जरूरी है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट का कब्जा होना रिकार्ड पर साबित है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश काननून निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतकरण निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण माननीय निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना में तस्दीक किया हुआ है। विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट मुताबिक निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 20.06.1974 को पारित निर्णय में ग्राम मुण्डरू के नामान्तकरण संख्या 24/65 निर्णय दिनांक 11.01.61 को निरस्त कर इससे सम्बंधित भूमि धान्या व किशना बलाई के नाम बहाल करने के आदेश प्राप्त होने पर उक्त आदेश की पालना में अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह भी जाहीर है कि वादग्रस्त आराजियात भिन्न–भिन्न न्यायालयों में वादरत रही है। अपीलाधीन नामान्तकरण उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा केवल मात्र नामान्तकरण को चुनौती दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलांट उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सक्षम स्तर पर वाद पेश कर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official